आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 265/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

पिरामल कैपिटल एण्ड हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड (पूर्व नाम दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड) शाखा कार्यालय–302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई. रोड़, जयपुर, राजस्थान।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मुकेश शर्मा पुत्र श्री श्याम सुन्दर शर्मा
   (1) निवासी–33/50, राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड, सेक्टर 3, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर
   (2) कार्यालय पता–जे 387, रिको इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, सीतापुरा, जयपुर
   (3) सम्पत्ति पता–प्लाट नम्बर बी–23, फ्लेट नम्बर एफ–1, प्रथम तल, श्रीराम विहार, ब्लॉक–बी, श्रीकिशनपुरा, सांगानेर, जयपुर (राज.)
2. श्रीमती रितु शर्मा पत्नी श्री मुकेश शर्मा, निवासी–33/50, राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड, सेक्टर 3, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं सहऋणी

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थितः–श्री विक्रम सिंह अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांक 10.03.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.08.2018 को पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी रितु शर्मा पत्नी श्री मुकेश शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति आवासीय फ्लेट नम्बर एफ–1, फर्स्ट फ्लोर, प्लाट नम्बर बी–23, योजना श्रीराम विहार, ब्लॉक बी, ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 550 वर्गफिट को बन्धक रख कर 13,81,811/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 12.05.2021 को रजिस्टर्ड़ नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

जस्ट्रेट
जयपुर

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 10, नवम्बर 2003 कम संख्या 6 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को 13,81,811/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 14,44,729/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 12.05.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नही दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नही किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानो के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

6. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शाक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती रितु शर्मा पत्नी श्री मुकेश शर्मा के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति आवासीय फ्लेट नम्बर एफ–1, फर्स्ट फ्लोर, प्लाट नम्बर बी–23, योजना श्रीराम विहार, ब्लॉक बी, ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 550 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु सबधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।

8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 10.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

10/03/22

(राजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर